न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या– 96/17 तारीख रज्जू– 06/11/17

1. शिवचरण पुत्र विशन लाल जाति बैरवा निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

निगरानी गुजार (प्रार्थीगण)

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र पून्या बैरवा (मृतक) निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

1/1 महेन्द्र पुत्र गोपी निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

1/2 अशोक पुत्र गोपी निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

1/3 किशोर पुत्र गोपी निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

1/4 लक्ष्मी पत्नि श्री जसवन्त पुत्री गोपी निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

2. बदरी पुत्र पून्या बैरवा निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर
3. प्रेमचन्द पुत्र पून्या निवासी चकचेनपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण

निर्णय. दि. 28.8.19

मा0 न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पत्रावली राजस्व/निगरानी/सं0/67/2000 बउनवानी शिवचरण बनाम गोपीलाल तारिख निर्णय 18/09/2001 में प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त किया गया था। जिसको मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में चुनोती दी गई। जिसमें निगरानी/एलआर/04/2002/357/सवाई माधोपुर तारीख निर्णय 14.03.2008 से पत्रावली वास्ते पुनः सुनवाई प्रतिपेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त रेफरेन्स में निर्देश दिये कि नामा0 सं0 76 दिनांक 12.10.77 मुख्य विवादित नामान्तकरण है। नामा0 सं0 110 दिनांक 1.1.83 पूर्वोवत नामान्तरकरण पर आधारित पश्चातवर्ती नामान्तरकरण है जो पून्या के इंतकाल पर विरासत में खोला गया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 76 जिस व्यक्ति के नाम 12.10.77 को स्वीकृत किया गया उसकी मृत्यु वर्ष 1966 में ही हो गई थी। नामान्तकरण सं0 76 माफिक आदेश तहसील मिसल नम्बर 228 तारीख फैसला 14.06.76 के आधार पर खोला गया। तहसीलदार को राजकीय भूमि में धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तहत अधिकार प्रदत्त है अथवा नहीं आदि बिन्दुओं के बाद परिक्षण कर निर्णय प्रतिपादित करने हेतु निर्देश दिये गये है।

निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते रिकोर्ड तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा आदेशिका दिनांक 29/03/19 द्वारा तलबी रिकोर्ड पूर्व में ही प्राप्त हो जाने के कारण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीगुजार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया है कि ग्राम चकचैनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर में आराजी खसरा नंबर 23 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 46 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 73 रकबा 4 बीघा स्थित है। जिसे विपक्षीगण के पिता व पति के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 10.10.77 के द्वारा आराजी खसरा नंबर 23 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 46 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 73 रकबा 10 बिस्वा खातेदारी अधिकार दिये गये तथा नामा0 सं0 110 विरासत के आधार पर खोला गया है। जिसके संबंध में यह अपील दायर की गई है तथा निवेदन किया है कि नामा0 सं0 76 के संबंध में न्यायालय नायाब तहसीलदार सवाईमाधोपुर में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। स्वतः पून्या पुत्र बालू जिसके नाम नामा0 सं0 76 खोला गया है। वह सीमेन्ट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर का कर्मचारी था। एवं उसकी मृत्यु 6.01.1966 को हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसके नाम नियमन आदेश होना एवं पुनः नामा0 तस्दीक होना दोनों ही कार्यवाही विधि विरूद्ध व फर्जी है जो निरस्त योग्य है।

जब मृतक पून्या का वर्ष 1966 में निधन हो चुका था, तब वर्ष 1976 में नियमन होना सर्वथा अवैधानिक व शून्य प्रभावी है एवं शून्य प्रभावी नियमन के आधार पर खोला गया नामा0 सं0 76 दिनांक 12.10.77 भी शून्य प्रभावी है। इसी प्रकार से नामा0 सं0 110 दिनांक 1.1.83 भी शून्य प्रभाव ठहरता है, क्योंकि इस नामा0 का मूल आधार नामा0 सं0 76 ही है।

उक्त वाद आराजीयात नगरपालिका क्षेत्र की है जो नियमन नहीं की जा सकती है। तथा कब्जे संबंधी दस्तावेजातों के अनुसार संवत् 2015 से 2019 व 2020 से 2030 एवं 2031 से 2035 में उक्त वाद आराजीयात पर कभी पून्या का कब्जा रहा ही नहीं । साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा नामा0 सं0 76 दिनांक 10.10.77 एवं नामा0 सं0 110 दिनांक 1.1.83 वाके ग्राम चकचैनपुरा तह0 सवाई माधोपुर निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आलोच्य नामा0 से संबंधित आराजीयात मुक्तनाजा से वादीगण का कोई तालुक व वास्ता नहीं है। आराजीयत मुक्तनाजा मिन रेस्पाडेन्ट के पिता पून्या के समय से कब्जे व काश्त में चली आ रही है। तथा पूर्व में भी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बउनवानी हरिनारायण बनाम गोपीलाल वगै0 प्रकरण सं0 एल.आर. एक्ट सं0 229/1993 जिला सवाईमाधोपुर तारीख निर्णय 3.12.94 को खारिज किया गया। इस प्रकार पूर्व में आलोच्य नामा0 76 के संबंध में राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आदेश प्रतिपादित किया गया है। जिसमें हरिनारायण की निगरानी खारिज करते हुए मिन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय प्रतिपादित किया है। उसमें सफलता नहीं मिलने पर हरिनाराण के भाई शिवचरण के द्वारा दूसरी यह निगरानी आलोच्य नामा0 के संबंध में दुर्भावना पूर्वक संधि कर दायर की है। जो खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि आलोच्य नामा0 सं0 76 दिनांक 10.1.77 नायाब तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। तथा उक्त पूर्वोवत नामा0 के आधार पर पून्या के इंतकाल पर नामा0 सं0 110 दिनांक 1.1.83 विरासत का खोला गया है। माननीय राजस्व मण्डल ने निर्देश दिये है कि नामा0 सं0 76 दिनांक 10.10.77 को खोला गया उसके पूर्व ही रेस्पोडेन्ट पून्या का इंतकाल हो चुका था उक्त नामा0 के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एक पृथक से निगरानी सं0 एल.आर.एक्ट 229/1993 बउनवानी हरिनारायण बनाम गोपीलाल निर्णय दिनांक 3.12.94 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त आदेश में आलोच्य नामा0 सं0 76 खोलने से पूर्व पून्या के इंतकाल बावत् कोई बिन्दु नहीं उठाया गया है जबकि उक्त निगरानी हरिनाराण बल्द विशन्या जाति बैरवा निवासी चकचैनपुरा की ओर से प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्देश दिए गए है कि नामा0 प्रोसेडिंग एक फिजिकल नेचर की कार्यवाही है। इसमें अधिकार तय नहीं किए जा सकते। सक्षम न्यायालय से अधिकार तय करवावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह तर्क भी दिया कि उक्त निगरानी में असफलता के कारण हरिनारायण ने दुर्वभावना पूर्वक संधि कर शिवचरण पुत्र विशन्या जाति बैरवा जो इसका भाई है कि और से यह पुनः निगरानी दायर करवाई है। मौजुदा प्रकरण में अपीलान्ट की और से जयपुर उधोग लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। जिसमें पून्या पुत्र बाबू का इन्तकाल सन् 1966 में होना दर्शाया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की वैधानिकता हेतु साक्ष्यकरण कर सिविल न्यायालय द्वारा ही नम्बरी वाद से यह निर्णित किया जा सकता है कि नामान्तकरण संख्या 76 दिनांक 10/10/77 से पूर्व ही पून्या पुत्र बाबू का इन्तकाल हो गया था। इस प्रकार निगरानी का स्कोप सीमित होने के कारण उक्त बिन्दु तय किया जाना मुमकिन नहीं है।

नामान्तकरण संख्या 76 दिनांक 12/10/77 खं0नं0 22,23,46,76 बाबत् पून्या के पक्ष में खोला गया है। उक्त नामान्तकरण के कॉलम सं0 14 में यह अंकन है कि मि0सं0 228 ता0रजू 1/1/76 ता0 फैसला 14/06/76 धारा 15 से खातेदारी सूची संलग्न है। अर्थात उक्त मिसल किस कार्यालय/न्यायालय की है। दर्ज नहीं है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि तहसीलदार के आदेश से यह आलोच्य नामान्तकरण खोला गया है। अपीतू आलोच्य

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामान्तकरण खोलने के संबंध में सम्भवतः उप जिलाधीश द्वारा ही मि0नं0 228 तारीख रज्जू 10/10/76 ता0 फैसला 14/06/76 के द्वारा धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार बाबत् विविवत् आदेश जारी किया जाना सम्भावित है। क्योकि उक्त नोट से यह स्पष्ट है कि रेस्पों0 के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी धारा 15 के तहत इस तरह के नामान्तकरण खोले जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है। सूची पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पंहूचते है कि काश्तकारी अधिनियम धारा 15 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा ही आदेश प्रतिपादित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हरिनारायण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया कि मा0 मण्डल के निर्णय दिनांक 3/12/94 निगरानी सं0 229/93 सवाई माधोपुर बउनवानी हरिनारायण बनाम गोपीलाल के सन्दर्भ में कोई कानूनी चाराजोई की गई है अथवा नहीं, रिकोर्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा माा0 राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में आलोच्य नामान्तकरण के संबंध में उक्त निर्णय प्रतिपादित किया जा चुका है।

अतःहमारे विनम्र अभिमत में उक्त निगरानी खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा नामा0 सं0 76 निर्णय दिनांक 12.10.77 एवं नामा0 सं0 110 निर्णय दिनांक 1.1.83 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर